न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 09 / 2024
(GCMS 2024/14)(212269754266439)

श्री रवि कान्त, निवासी वार्ड नं. 13, मक्कासर, हनुमानगढ़, – (मोबाईल नम्बर 98875–73360)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

21.08.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रवि कान्त स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रवि कान्त ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष दिनांक 14.12.2023 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह ऑनलाईन अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रवि कान्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.12.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरूवाला में पदस्थापित व्याख्याता रविकान्त के विरूद्ध किसी प्रकार की लिखित शिकायत या परिवाद प्राप्त हुआ है तो उसकी प्रमाणित प्रति के रूप में सूचना प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:02 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक आरटीआई / 24 / 4603 दिनांक 11.07.2024 से अपील का जवाब निम्न प्रकार प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अपील लोक सूचना अधिकार अधिनियम संख्या 14/2024 रविकान्त बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिसमें आगामी पेशी 24.07.2024 निर्धारित है। अपीलार्थी को उक्त सूचना आईटीआई पोर्टल पर दिनांक 22.02.2024 को भी उपलब्ध करवा दी गई है। सुलभ संदर्भ हेतु सूचना की प्रति श्रीमान्‌जी को आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-

(शिवा चौधरी)
लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपीलार्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र का जवाब आरटीआई पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.02.2024 को ही उपलब्ध करवाया जा चुका है, जिसकी प्रति पत्रावली में भी उपलब्ध हैं। इसलिए प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:02 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर